

35/21

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

11/5/25

पत्रावली पेश हुई। वहीलवादी अनुं पत्रावली में
अधिकतः न्यायालय में अनुं। पत्रावली में एक
-रक व बार-बार आवाज लगाई। जिससे
-वापसूद श्री न्यायालय में अनुं। उतः पत्रावली
अदम-पैरवी अदम हाजरी में खारिज की
जाती है।

पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर
की कम की जाकर होखल-दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज)